प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला चौकी – भ्र0नि0 ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना– प्र0आ0के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष– 2022
प्र0सू0रि0 सं. 296/22 दिनांक 28.7.2022

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7

(2) अधिनियम भारतीय दण्ड सहिंता.. धारा ....120 बी........

(3) अधिनियम.. धाराएं....................................

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराएं....................................

3. (क) घटना का दिन–मंगलवार दिनांक. 26.07.2022 से दिनांक...04.45 पीएम........ तक

पहर....................... बजे से ....

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना .... दिनांक– 25.07.2022 समय : 12.10 पीएम

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ...578........... समय........8.50 P.M.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुइ– स्वयं हाजिर होकर, लिखित/मौखिक– लिखित

1. घटना स्थल का ब्यौरा
2. (क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी से बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा बफाराला करीब 01 किमी.
.... बीट संख्या...........

(ख) पता – हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर मार्ग, लालचौक, हनुमानगढ़ जक्शंन

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस

थाने का नाम.. जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला)

(क) नाम– श्री संजय

(ख) पिता/पति का नाम– स्व. श्री मोहनलाल

(ग) जन्म तिथि/उम्र 29 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय (ड़) पासपोर्ट संख्या......................................

जारी करने की तिथि.................................. जारी करने का स्थान......................................

(च) व्यवसाय– ....

(छ) पता– निवासी सेक्टर नं. 3 हनुमानगढ़ टाउन ।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1.सुभाष स्वामी पुत्र दयाराम स्वामी, जाति–स्वामी, उम्र–30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल कनिष्ठ सहायक, सहायता शाखा जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़

2.जगरूप सिह पुत्र चनन सिह जाति–बावरी सिख, उम्र–32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 11, सीखो की बस्ती, चिस्तीया, 1 जेडीडब्लू, जन्डावाली हनुमानगढ़ राज.

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण...कोई नहीं

9. चोरी हुई सम्पति का विवरण :– आरोपित श्री सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री संजय के पिता की कोरोना से मृत्यु हो जाने पर मुआवजा राशि 50 लाख रूपये दिलवाने की एवज में पांच प्रतिशत की मांग करना, जिस पर सत्यापन के दौरान दो लाख रूपये लेने हेतु सहमत होना, सुभाष स्वामी द्वारा अपने पुराने सहपाठी के साथ आपराधिक षड़यन्त्र रचकर रिश्वत राशि 2,00,000/–रूपये उसे दिलवाना, जिससे रिश्वत राशि बरामद होना, श्री सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक व जगरूप सिह को परिवादी से 2,00,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना। ।

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य–..... ट्रेप राशि **2,00,000/–रू0**

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,हनुमानगढ़। विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाने बाबत।महोदय,निवेदन है। कि मैं संजय पुत्र स्व.श्री मोहनलाल जाति–सिन्धी, उम्र 29 वर्ष निवासी पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास, सैक्टर नं. 3 हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी के पास वार्ड नं. 32 मशीन नं. 18019 की राशन डिपो की दुकान थी, जिनकी कोरोना के कारण ता. 07/05/2021 को कोरोना से स्वर्गवास हो गया था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो जाने पर नियमानुसार राजय सरकार द्वारा देय मुआवजा राशि हेतु मेरे द्वारा ता. 31/05/2021 को पत्रावली तैयार कर जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दी थी। उसके उपरांत 50 लाख मुआवजा राशि पारित होने थे जो जिला कलक्टर सहायता विभाग से उसका प्रोसेस होना था। मेरे द्वारा सहायता विभाग जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ से सम्पर्क किया गया तो वहां पर श्री सुभाष स्वामी बाबू व ए.ए.ओ. साहब मिले जिन्होने सहायता राशि दिलवाने की एवज में 50 लाख का पांच प्रतिशत राशि दे देना ओर मेरे से समय समय पर सम्पर्क करते रहे व अपडेट लेते रहे मेरे द्वारा कहा गया कि जब आप के खाते में 50 लाख रूपये आ जांए उसके एक या दो दिन बाद हमें 5 ./. राशि दे देना और मेरे से खाते में राशि आने बाबत अपडेट लेते रहे अब मेरे खाते में दिनांक 21.07.2022 को 50 लाख रूपये सहायता मुआवजा के रूप में प्राप्त हो गये है। अब उक्त मुआवजा राशि दिलवाने की एवज में 5 प्रतिशत राशि की मांग की जा रही है। मैं मेरे जायज मुआवजा राशि प्राप्त होने के बदले उन्हे 5 ./. राशि रिश्वत के रूप में नहीं देकर उन्हे 5./. राशि रिश्वत के रूप में लेते हुऐ पकड़वाना चाहता हूं। मेरे उनसे किसी प्रकार का उधार का लेने देना नही है। एंवम ना ही किसी प्रकार की मेरी उनके साथ कोई रंजिश है। कृप्या उचित कानूनी कार्यवाही करे। प्रार्थी – एसडी – संजय पुत्र स्व0श्री मोहनलाल,जाति–सिंधी, उम्र–29,निवासी sec No. 03, हनुमानगढ़ टाउन, मो. 9828600018

कार्यवाही पुलिस

दिनांक :–25.07.2022 समयः–12.10 पीएम स्थान एसीबी कार्यालय हनुमानगढ़ प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री संजय पुत्र स्व. श्री मोहनलाल, जाति–सिंधी, उम्र–29 वर्ष निवासी सेक्टर नं. 3 हनुमानगढ़ टाउन ने ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने स्वंय द्वारा लिखा जाना व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि मेरे पिताजी के पास वार्ड नं. 32 मशीन नं. 18019 की राशन डिपो की दुकान थी, जिनकी कोरोना में कोरोना के कारण दिनांक 07.05.2021 को स्वर्गवास हो गया था, हम चार भाई है, मेरे पिता के स्वर्गवास हो जाने पर नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा राशि हेतु मेरे द्वारा दिनांक 31.05.2021 को पत्रावली तैयार कर जिला रसद विभाग हनुमानगढ़ में जमा करवा दी थी, उसके उपरांत मुआवजा राशि 50 लाख रूपये पारित होने थे जो जिला कलक्टर कार्यालय के सहायता विभाग से उसका प्रोसेस होना था, उक्त मुआवजा राशि मेरे माताजी यशोदा देवी के खाते में प्राप्त होनी थी, मेरी माताजी के वृद्ध होने के कारण उनके समस्त कार्य मेरे द्वारा ही किये जाते है, मेरे द्वारा सहायता विभाग जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ में सम्पर्क किया गया तो वहां पर श्री सुभाष स्वामी बाबू व ए.ए.ओ. साहब मिले जिन्होने सहायता राशि दिलवाने की एवज में 50 लाख का पांच प्रतिशत की मांग की, मेरे द्वारा कहा गया कि अभी हमारे पास इतने रूपये नही है तो उन्होने कहा की जब आपके खाते में 50 लाख रूपये आ जाये उसके एक–दो दिन बाद हमें 5 प्रतिशत राशि दे देना और मेरे से समय–समय पर संपर्क करते रहे व अपडेट लेते रहे, अब मेरी माताजी के खाते में दिनांक 21.07.2022 को 50 लाख रूपये सहायता राशि प्राप्त हो गई है, अब इसकी एंवज में 5 प्रतिशत की मांग कर रहे है, मै मेरे जायज प्राप्त मुआवजा राशि के बदले उन्हे पांच प्रतिशत रिश्वत राशि नहीं देकर, उन्हे रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं, मेरा उनसे किसी प्रकार का कोई उधार का लेन–देन नहीं है एंव ना ही किसी प्रकार की कोई रंजिश हैं। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। समय 01.20 पीएम पर परिवादी श्री संजय को गोपनीय सत्यापन बाबत कहा गया तो उसने स्वीकृति दी। इस पर परिवादी श्री संजय व ब्युरो के कानिस्टेबल श्री राजेश कुमार नंबर 484 से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री संजय को गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की जाकर सुपुर्द किया गया व कार्यालय के श्री राजेश कुमार कानि0 को परिवादी के साथ आवश्यक हिदायत कर जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ की तरफ गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 02.10 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गये हुए श्री राजेश कुमार कानि0 व परिवादी श्री संजय ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। राजेश कुमार कानि0 ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि हम रवाना होकर जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ के पास पहुंचे मैने परिवादी संजय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर चालू कर दिया, परिवादी संजय सत्यापन हेतु जिला कलक्टर

कार्यालय में चला गया मै गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया, कुछ समय बाद परिवादी संजय वापिस आया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद किया एंव परिवादी संजय ने बताया कि आरोपी सुभाष स्वामी से रिश्वत मांग का सत्यापन हो चुका है, जिस पर मै व परिवादी संजय वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आ गये, परिवादी श्री संजय ने बताया कि हम ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ के पास पहुंचें जहां पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को राजेश कुमार कानि0 द्वारा चालू कर दिया गया मै जिला कलक्टर कार्यालय में चला गया, वहां पर सुभाष स्वामी बाबूजी से मिला तो उन्होने मेरे से रिश्वत संबंधी वार्ता की ओर कहा मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहा तो उन्होने मुझे दो लाख रूपये हेतु कहा और कहा की आप अनिल मूंड एड़वोकेट को दे देना, उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैने वहां से बाहर आकर राजेश कुमार कानि0 के पास पहुंच कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुपुर्द कर दिया और वहां से रवाना होकर वापिस एसीबी कार्यालय आ गये, जिस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी संजय ने बताया की मै अभी कुछ देर बाद अनिल मूंड एड़वोकेट से मिलकर रिश्वत राशि देने के संबंध में वार्ता कर लूंगा। परिवादी को अनिल मूंड एड़वोकेट के पास भेज कर सत्यापन करवाया जायेगा। समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री संजय व राजेश कुमार कानि. को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर श्री अनिल मूंड एडवोकेट से गोपनीय सत्यापन हेतु कचहरी परिसर की तरफ रवाना किया गया। समय 04.10 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गये हुए श्री राजेश कुमार कानि0 व परिवादी श्री संजय ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। राजेश कुमार कानि0 ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि हम रवाना होकर कचहरी परिसर में गये, मैने परिवादी संजय को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर चालू कर दिया, परिवादी संजय सत्यापन हेतु एडवोकेट चैंबर की तरफ चला गया मै गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया, कुछ समय बाद परिवादी संजय वापिस आया व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद किया एंव परिवादी संजय ने बताया कि एडवोकेट अनिल मूंड से मिला जिसने कहा की मेरा इसमें कुछ नही है आप सुभाष को ही कर देना जो करना है और मै आपसे शाम को बात कर लूंगा, जिस पर मै व परिवादी संजय वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आ गये, परिवादी श्री संजय ने बताया कि हम ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कचहरी परिसर में पहुंचें जहां पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को राजेश कुमार कानि0 द्वारा चालू कर दिया गया मै एडवोकेट चैबरर्स में चला गया, जहां पर मुझे एड़वोकेट अनिल मूंड मिले जिसने कहा की मेरा इसमें कुछ नही है आप सुभाष को ही कर देना जो करना है और मै आपसे शाम को बात कर लूंगाउक्त वार्ता को मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैने वहां से बाहर आकर राजेश कुमार कानि0 के पास पहुंच कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुपुर्द कर दिया और वहां से रवाना होकर वापिस एसीबी कार्यालय आ गये, जिस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। उक्त हुई सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। समय 04.30 पीएम पर डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से जोड़कर परिवादी व सुभाष स्वामी के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू किया गया। समय 06.30 पीएम पर डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहन एक कपड़े की थैली में सील चिट किया गया व एक डी.वी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। समय 06.35 पीएम पर डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से जोड़कर परिवादी व एड़वाकेट अनिल मूड़ के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू किया गया। समय 08.30 पीएम पर डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहन एक कपड़े की थैली में सील चिट किया गया व एक डी.वी.डी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। समय 08.40 पीएम पर परिवादी ने बताया कि मेरी माताजी का बैंक खाता पीलीबंगा ब्रांच में है जिसमें मुआवजा राशि प्राप्त हुई है, मै मेरी माता को कल सुबह पीलीबंगा ले जाकर बैंक से रिश्वत राशि मे दिये जाने हेतु रूपये प्राप्त कर आपके कार्याल में आ जाउंगा इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 26.07.2022 समय 01.00 पीएम पर परिवादी संजय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बताया की मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि 200000/—रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं और बताया की कल शाम को मेरे पास अनिल मूंड एड़वोकेट का फोन आया था जिसने कहा की कल मै सुभाष को कार्यालय से बाहर बुला लूंगा तब आप उसको पेमेंट दे देना। समय 01.05 पीएम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर जरिये तहरीर देकर श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 को कृषि विभाग हनुमानगढ़ रवाना किया गया। समय 01.30 पीएम पर कृषि विभाग हनुमानगढ़ से श्री करणजीत सिह उप परियोजना निदेशक व श्री नवनीत सिह सहायक सांख्याकी अधिकारी उपस्थित आये। दिनांक 26.07.2022 समय 02.20 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री करणजीत सिह उप परियोजना निदेशक व श्री नवनीत सिह सहायक सांख्याकी अधिकारी को बुलवाया जाकर परिवादी श्री संजय से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। निर्देशानुसार परिवादी श्री संजय पुत्र स्व. श्री मोहनलाल,

जाति–सिंधी, उम्र–29 वर्ष निवासी सेक्टर नं. 3 हनुमानगढ़ टाउन ने आरोपित को रिश्वत दी जाने वाली राशि दो–दो हजार रूपये के 100 नोट कुल 2,00,000/– रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	नोटों का विवरण	नम्बर
1	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3MK107626
2	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6GC274473
3	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1FF189866
4	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4AF520394
5	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0DL045479
6	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5DA268686
7	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1CN777838
8	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0DW283295
9	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5BB582217
10	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6GE757431
11	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6DW081249
12	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3DK781933
13	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1AW853535
14	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7KG111594
15	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8ED607700
16	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9LK407812
17	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9EG420900
18	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8FG780372
19	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2DC659772
20	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3HQ700965
21	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3FL087936
22	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8FU998379
23	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8HG890893
24	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9HU515995
25	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9GC729665
26	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6KD086673
27	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4MU517785
28	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4FB659378
29	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1GK157338
30	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0CL452979
31	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2FL124541
32	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4BD309479
33	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6BG357048
34	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2DK225288
35	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4BE446108
36	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8KB662551
37	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7EQ461794
38	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1MK995876
39	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9KC067337
40	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5FC059612
41	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2CA937187
42	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1AF858625
43	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5AC763737
44	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1MT959475
45	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4FF096994
46	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9FL129870
47	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8BM700448
48	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2BA145163
49	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2LP322954
50	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3AC941294
51	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2LQ345769
52	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4BW787846

53	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1HG515558
54	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6CH294639
55	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1GF521288
56	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4DG268091
57	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2BG518344
58	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5EL226399
59	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4BL844921
60	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2AN047887
61	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9KH393468
62	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4BV415291
63	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1FU175890
64	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1FR943891
65	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6GD131260
66	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6EC557545
67	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5GU108870
68	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9EN576422
69	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2EW639803
70	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0EG564135
71	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4AS299319
72	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0KK805552
73	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1LQ707859
74	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7EF957212
75	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6LH420958
76	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	3CF694269
77	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8CP648277
78	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6BE610694
79	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8DB635014
80	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5BB553653
81	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1MH605509
82	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8EK986836
83	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4CW124025
84	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5HR266535
85	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	6KP468128
86	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9EW058412
87	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2FF814463
88	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	0DK240873
89	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9LQ869948
90	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4BB812898
91	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	2KG658536
92	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7HU732148
93	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1FL905939
94	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	8HL008408
95	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	9AP129041
96	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	7KF210599
97	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1FR667631
98	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	4DQ592761
99	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	1DB805751
100	एक नोट भारतीय मुद्रा का दो हजार रूपये का नम्बरी	5GB707378

रूबरू गवाहान श्रीमती सोनू महिला कानि0 175 से मालखाना में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के रागी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह श्री करणजीत सिंह से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 2,00,000/– रू. को श्रीमती सोनू महिला कानि0 से ही परिवादी के पहनी जिन्स पेंट की सामने की दांयी साईड की जेब में सावधनी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी

द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. 94137 61919/97830 96902 पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्रीमती सोनू महिला कानि0 के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर गिलास को साबुन पानी से साफ धुलवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापिस मालखाना में रखवाया गया, एंव समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों व गिलास को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत दी गई कि वह आरोपी से मिलने से पहले वॉईस रिकॉर्ड को भली भान्ति चालू कर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करे।उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकरी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉलपथलीन पाउडर अलग से तैयार की गई। समय 04.00 पीएम पर परिवादी ने अवगत करवाया की मैने एड़वोकेट अनिल मूंड से जरिये दूरभाष उसे जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर बुलवाने हेतु संपर्क किया तो उसने मुझे अपने चैम्बर में ही बुलाया है, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाउंगा क्योकीं वहां पर वकिल बहुत होते है कोई समस्या खड़ी हो सकती है मै उसे जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर ही चाय की दुकान पर बुला लूंगा और रिश्वत राशि भी वहीं दे दूंगा। इस पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री नवनीतसिह, श्री राजेश कुमार कानि0, श्री बंजरग लाल कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0 निजि प्राईवेट कार से मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स व अन्य ट्रेप सामग्री सहित श्री तेजपाल सिह अति0 पुलिस अधीक्षक, श्री करणजीत सिह स्वतंत्र गवाह, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 सरकारी वाहन मय कानि0 ड्रा0 ओमप्रकाश के, परिवादी संजय परिवादी के निजि वाहन से, संदीप कानि0 व श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को पैदल ही ब्यूरो कार्यालय से जिला कलक्टर कार्यालय की तरफ रवाना हुए। श्रीमती सोनू महिला कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 04.05 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ के पास पहुंचे परिवादी बाहर अपनी गाड़ी में मुकिम हो गया, ट्रेप जाल बिछाया गया। समय 04.10 पीएम पर परिवादी बिना कोई ईशारा करे अपनी कार से जिला कलक्टर कार्यालय की तरफ रवाना हुआ, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान उसके पीछे–पीछे गोपनीय रूप से रवाना होकर जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर पहुंच ट्रेप जाल बिछाया गया। समय 04.30 पीएम पर परिवादी बिना कोई ईशारा करे जिला कलक्टर कार्यालय से बाहर निकला और अपनी कार से रवाना होकर लालचौक की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा जहां मन् पुलिस निरीक्षक ने उसे रूकवाकर मिला और डिवाईस बंद किया तब परिवादी ने बताया की मेरे द्वारा अनिल मूडं एड़वोकेट को मैने बाहर चाय की दुकान की तरफ बुलाया तो उसने कहा की आप चैम्बर में ही आ जाओ, फिर मैने सुभाष स्वामी बाबू से सम्पर्क किया तो उसने कहा की आप जिला कलक्टर कार्यालय के कमरा नंबर 211 में आ जाओ वहां जाकर मैने उनसे बात की ओर रिश्वत के बारे में कहा तो उसने कहा की मै मेरे मित्र को कह देता हूं वह आपको लालचौक पर गाड़ी नंबर पीबी 03 एआर 9091 में मिल जायेगा आप उक्त राशि उसको दे देना, अब लालचौक की तरफ जा रहा हूं, इस पर परिवादी संजय का आवश्यक हिदायत कर उसकी प्राईवेट कार से लालचौक की तरफ रवाना किया व मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री नवनीतसिह, श्री राजेश कुमार कानि0, श्री बंजरग लाल कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0 निजि प्राईवेट कार से मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स व अन्य ट्रेप सामग्री सहित श्री तेजपाल सिह अति0 पुलिस अधीक्षक, श्री करणजीत सिह स्वतंत्र गवाह, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 सरकारी वाहन मय कानि0 ड्रा0 ओमप्रकाश के उसके पीछे–पीछे रवाना होकर लालचौक के पास पहुंच ट्रेप जाल बिछाया गया, श्री संदीप कानि0 व अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 04.45 पीएम पर परिवादी श्री संजय द्वारा ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर परिवादी के पास जाने लगा तो परिवादी ने एक सफेद स्वीफ्ट डिजायर कार नं. पीबी 03 एआर 9091 की तरफ ईशारा किया जो कार रवाना कर जा रहा था जिसके आगे ब्यूरो टीम की गाड़िया लगाकर रोका गया इतने में परिवादी पास में आया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया की अभी अभी इन्होने मेरे से श्री सुभाष स्वामी बाबूजी के कहे अनुसार कार में बैठकर रिश्वत राशि के 200000/–रूपये लेकर अपनी पहनी जिन्स पेन्ट की बांयी जेब में रखे है, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उस व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली देकर कार से उतारकर ब्यूरो की गाड़ी में बैठाया गया ओर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगरूप सिह पुत्र चनन सिह जाति–बावरी सिख, उम्र–32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 11, सीखो की बस्ती, बिस्तीया, 1 जेडीडब्लू, जण्डावाली हनुमानगढ़ होना बताया, जिस पर उक्त व्यक्ति से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 200000/–रूपये के संबंध में पूछने

पर बताया की सुभाष को मैने उधार रूपयें दिये हुए थे उसी ने मुझे फोन करके कहा था की कोई आदमी आ रहा है जिससे पेमेंट ले लेना अब ये मुझे देने आया तो मैने पेमेंट ले ली मैने इसे गिना नही ओर सीधा ही जेब में रख लिया मुझे यह मालूम नही है कि ये रिश्वत की राशि है, इस पर श्री जगरूप सिह के दोनो हाथो को कलाई के उपर से राजेश कानि0 व राजेन्द्र प्रसाद कानि0 से पकड़वाया गया, मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया की मैने इसे कहा था की सुभाष जी ने कहा है पेमेंट का ओर इन्होने ले ली इन्होने पूछा कितना है तो मैने कहा दो है इन्होने लेकर जेब में रख ली तभी मैने आपको ईशारा कर दिया था, श्री जगरूप से पूछा गया की उधार किसकी है और कब ली गई और लिखापढी के बारे में पूछा गया तो वह कुछ नही बोला, फिर बैंक से कोई आनलाईन लेनदेन के बारे में पूछा तो भी वह कुछ नहीं बोला ओर चुप हो गया, फिर जगरूप सिह से कार नं. पी.बी. 03 एआर 9091 के बारे में पूछा गया तो उसने बताया की यह कार मेरी स्वंय की है और मेरे नाम से ही रजिस्टर्ड है, फिर जगरूपसिह के मोबाईल से आरोपी सुभाष के मोबाईल पर वार्ता करवायी गई जिसे ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। मौके पर भीड़ हो गई और आरोपी जगरूप प्राईवेट व्यक्ति है एंव मौके पर बैठकर कार्यवाही के लिए उचित स्थान नही होने के कारण तथा दूसरा आरोपी सुभाष स्वामी जिला कलक्टर कार्यालय में है जिससे भी आवश्यक पूछताछ करनी है अतः समस्त अग्रिम कार्यवाही करने एंव सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही लाल चौक, हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर रोड़ पर किया जाना उचित नही है, इस कारण आरोपी श्री जगरूप सिह को हमरकाब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजपाल सिह को वास्ते ब्यूरो कार्यालय में ले जाने हेतु सुपुर्द कर रवाना किया, मौके से जगरूप सिह की कार सुरक्षा दृष्टि से ब्यूरो कार्यालय में ले जाने हेतु वरूण कुमार कानि0 को सुपुर्द कर रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय बजरंगलाल कानि0 दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी को साथ लेकर जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। जहां पर कमरा नं. 211 में पहुंचा जहां पर श्री सुभाष स्वामी उपस्थित मिला जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुभाष स्वामी पुत्र दयाराम स्वामी, जाति–स्वामी, उम्र–30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल कनिष्ठ सहायक, सहायता शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय हनुमांनगढ होना बताया, जिससे पूछताछ करनी आवश्यक होने के कारण उसे साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा, जहां पर सहआरोपी जगरूप सिह उपस्थित मिला, आरोपी सुभाष से परिवादी संजय से जगरूप सिह को दिलवायी गई रिश्वत राशि 200000/–रूपये के संबंध में पूछा गया तो सुभाष ने बताया कि मेरे द्वारा संजय से कोई डिमाण्ड नही की गई थी ना ही उसका कोई कार्य शाखा में पेण्डिंग है, उसकी पेमेंट उसके खाते में जमा करवा दी थी, मुझे संजय से अनिल मूंड एड़वोकेट ने ही जानकारी करवायी थी, मेरे द्वारा संजय से कभी कोई संपर्क नहीं किया गया था ना ही मैने उसे कल बुलाया था ना ही आज बुलाया आज उसका स्वंय का फोन आया था और मिला था उसने उपहार स्वरूप मुझे दो लाख रूपये कमरा नं. 211में देनी चाही तो मैने मना कर अपने जानकार जगरूप सिह को मेरा पुराना सहपाठी रहा है उसके गाड़ी के नंबर 9091 बताये और कहा की लालचौक पर मिल जायेगा, मौके पर उपस्थित परिवादी ने स्वंय ही बताया की मेरे पिता के स्वर्गवास हो जाने पर नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा राशि हेतु परिवादी द्वारा दिनांक 31.05.2021 को पत्रावली तैयार कर जिला रसद विभाग हनुमानगढ़ में जमा करवा दी थी, उसके उपरांत मुआवजा राशि 50 लाख रूपये पारित होने थे जो जिला कलक्टर कार्यालय के सहायता शाखा से उसका प्रोसेस होना था, परिवादी द्वारा सहायता शाखा जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ में सम्पर्क किया गया तो वहां पर श्री सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक मिले जिन्होने सहायता राशि दिलवाने की एवज में 50 लाख का पांच प्रतिशत की मांग की, मेरे द्वारा कहा गया कि अभी हमारे पास इतने रूपये नही है तो उन्होने कहा की जब आपके खाते में 50 लाख रूपये आ जाये उसके एक–दो दिन बाद हमें 5 प्रतिशत राशि दे देना और मेरे से समय–समय पर संपर्क करते रहे व अपडेट लेते रहे, दिनांक 21.07.2022 को 50 लाख रूपये सहायता राशि प्राप्त हो गई, इसकी एंवज में 5 प्रतिशत की मांग कर रहे थे, जिसकी मेरे द्वारा आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था और सत्यापन करवाया गया तो सुभाष बाबू द्वारा दो लाख रूपये रिश्वत के लेने हेतु सहमत हुआ था और आज उसी की एवज में मेरे द्वारा दो लाख रूपये रिश्वत स्वरूप जब सुभाष बाबू को देने चाहे तो उसने कहा की आप ये रूपये मेरे जानकार को दे देना जो लाल चौक पर गाड़ी नंबर 9091 में मिल जायेगा, इस पर मेरे द्वारा आज श्री सुभाष बाबू के कहे अनुसार उनके मित्र को लाल चौक पर दो लाख रूपये रिश्वत स्वरूप दिये है, रिश्वत राशि का आदान प्रदान की ताईद होने पर सह आरोपी जगरूप सिह के दोनो हाथो की धुलवाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना उपस्थित गवाहन ने ताईद किया फिर एक कांच के गिलास के तैयार घोल मे सहआरोपी जगरूप सिह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर–1, आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इस विधि अनुसार दूसरे कांच की गिलास में तैयार घोल में आरोपी के बांये हाथ की अगुंलियो व अगूंठे को घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर

मार्का एल–1, एल–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर गवाह श्री करणजीत सिह को निर्देश देने पर गवाह श्री करणजीत सिह ने सहआरोपी जगरूप सिह के पहनी जिन्स पेंट की आगे की बांयी जेब को चैक करवाया तो गवाह श्री करणजीत सिह ने 2000–2000/–रूपये के नोटों की थैई निकाल कर गिनकर कुल 2,00,000/–रूपये होना बताया जिस पर दूसरे गवाह श्री नवनीत सिह को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर अंकित नोटो के नंबरो का मिलान बरामदा नोटों के नंबरों से करवाने पर दोनो गवाहन ने हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताने पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित किये गये। उक्त बरामद नोटो को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।रिश्वत राशि आरोपी की पहनी पेन्ट बंरग नीली की आगे की बांयी जेब से बरागद हुई है, पेन्ट की जेब की धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर आरोपी को पहनने को लॉवर दिया जाकर पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर उसकी बांयी जेब का उल्टवाकर उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का पी–1, पी–2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर उक्त पेन्ट को डालकर कपड़े की थैली में डालकर थैली को मौके पर सील मोहर चीट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी सुभाष से परिवादी से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया की परिवादी से संबंधित पत्रावली कार्यालय में ही है जिस पर अति0 जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को परिवादी से संबंधित पत्रावली हेतु जरिये दूरभाष निवेदन किया गया। इस कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलवाई तैयार कर फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।वक्त 08.00 पीएम पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। आरोपी श्री सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक व श्री जगरूप सिह को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। समय 08.45 पीएम इस समय श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय दौराने कार्यवाही आरोपी सुभाष स्वामी के रहवासी मकान की खाना तलाशी करने गये थे, जो खाना तलाशी कर फर्द मुर्तिब कर वापिस आये। वक्त 09.45 पीएम परश्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0, श्री संदीप कानि0, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 को श्रीमान् एम.ओ. साहब राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ के नाम से पत्र जारी कर सुपुर्द कर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक व श्री जगरूप सिह को सुपुर्द कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर लाने के निर्देश देकर रवाना किया गया एंव हिदायत दी की बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर आरोपीगण को रात्रि सुरक्षा हेतु हवालात में रखने हेतु थानाधिकारी हनुमानगढ़ जक्शंन के नाम पत्र जारी कर हवालात में सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद लाने हेतु आवश्यक निर्देश देकर रवाना किया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाह को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा माल–वजह सबूत सील्डशुदा रिश्वत राशि 2,00,000/–रूपये, छः सील्डशुदा शिशियां, सील्डशुदा जिन्स पेन्ट की थैली, श्रीमती कंगलजीत कौर महिला कानि0 कार्यवाहक मालखाना प्रभारी को सुरक्षित संभलाया जाकर मालखाना में रखवाया गया। 11.00 पीएम इस समय श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0, श्री संदीप कानि0, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पर उपस्थित आये, जिन्होने गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट एंव जमा हवालात की रसीद प्रस्तुत की जिन्हे शामिल कागजात किया गया। दिनांक 27.07.2022 को वक्त 09.00 एएम पर स्वतंत्र गवाह श्री करणजीत सिह व नवनीत सिह उपस्थित आये, वक्त 09.30 एएम पर परिवादी संजय ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। समय 09.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को निकाल कर कार्यालय के कम्प्यूटर से जोड़कर दिनांक 26.07.2022 वक्त रिश्वत लेन–देन रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहन व परिवादी के एक सफेद कपड़े की थैली में सील चिट किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये व एक डी.वी. डी. को खुला रखा गया। समय 12.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी संजय, स्वतंत्र गवाह करणजीत सिह, नवनीत सिह, श्री बजरंगलाल कानि0, संदीप कानि0, जरिये सरकारी वाहन से मय श्री ओमप्रकाश कानि0ड्रा0 के घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु रवाना हुआ। समय 12.40 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना घटनास्थल पर पहुंच घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद किया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 01.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद कर वापिस ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। ट्रेप कार्रवाई में डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को निकालकर खाली माचिस की डिब्बी में डालकर डिब्बी को कपड़े की थैली में सीलमोहर कर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। परिवादी से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी सजंय व स्वतंत्र गवाह श्री करणजीत सिह व नवनीत सिह को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। आरोपीगणों को माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश किया गया।

इस प्रकार परिवादी श्री संजय पुत्र स्व. श्री मोहनलाल, जाति–सिंधी, उम्र–29 वर्ष निवासी सेक्टर नं. 3 हनुमानगढ़ टाउन के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2022 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 25.07.2022 को करवाये गये सत्यापन से आरोपी श्री सुभाष स्वामी द्वारा मुआवजा राशि स्वीकृत करवाकर खाते में जमा होने की एवज में 2,00,000/–रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होना, दिनांक 26.07.2022 को वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी सुभाष स्वामी द्वारा रिश्वत स्वंय न लेकर अपने सहपाठी मित्र जगरूप सिह को दिलवायी, रिश्वत राशि जगरूप के पहनी जिन्स पेटं की बांयी जेब से बरामद हुई, जगरूप सिह के दोनो हाथों से प्राप्त धोवन गटगैला व हल्का गुलाबी प्राप्त होना, रिश्वत राशि बरामदगी स्थान जिन्स पेंट की बांयी जेब से प्राप्त धोवन गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने सहपाठी मित्र जगरूप सिह को दिलवाने व जगरूपसिह द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की पुष्टि होना आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक, सहायता शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्व्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर, श्री जगरूप सिह से आपसी मिलीभगत कर आपराधिक षड़यन्त्र रचकर परिवादी संजय से 200000/–रूपये रिश्वत स्वरूप प्राप्त किये गये आदि तथ्यों से श्री सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक, सहायता शाखा जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ व श्री जगरूप सिह के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एंव 120 बी भादसं का अपराध घटित होना पाया गया है। श्री सुभाष स्वामी पुत्र दयाराम स्वामी, जाति–स्वामी, उम्र–30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल कनिष्ठ सहायक, सहायता शाखा जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ एंव जगरूप सिह पुत्र चनन सिह जाति–बावरी सिख, उम्र–32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 11, सीखो की बस्ती, चिरतीया, 1 जेडीडब्लू, जन्डावाली हनुमानगढ़ राज के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(सुभाषचन्द्र)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाषचन्द्र, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1. श्री सुभाष स्वामी, हाल कनिष्ठ सहायक, सहायता शाखा जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ एवं 2. श्री जगरूप सिंह, निवासी वार्ड नं. 11, सीखो की बस्ती, चिस्तीया, 1 जेडीडब्लू, जन्डावाली हनुमानगढ़ के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 296/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2592-96 दिनांक 28.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

28.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाषचन्द्र, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1. श्री सुभाष स्वामी, हाल कनिष्ठ सहायक, सहायता शाखा जिला कलक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ एवं 2. श्री जगरूप सिंह, निवासी वार्ड नं. 11, सीखो की बस्ती, चिस्तीया, 1 जेडीडब्लू, जन्डावाली हनुमानगढ़ के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 296/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2592-96 दिनांक 28.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

28.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।